



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/11

-आदेश-

दिनांक 28-08-24

प्रार्थी के "खाता सुरक्षती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का खीमेल तथा तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम खीमेल तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 82 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खीमेल	82	भोमाराम पुत्र वगता	भंवरलाल उर्फ भोमाराम पुत्र वगता

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 28-08-24

कमांक/कोर्ट/2024/1111-13

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का खीमेल को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र वगताराम जाति सरगरा निवासी खीमेल तह. बाली को सूचनार्थ।



पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली